छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 1435/1994

भरत

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण हेतु प्रस्तुत

सही/

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सही/–

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए : 05/05/2011

सही/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 1435/1994

अपीलार्थी — भरत, पिता झाड़ूदार गोंड, उम्र 35 वर्ष, निवासी-दगौरी, थाना हिर्री, जिला-बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा पुलिस थाना हिर्री, जिला बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

.....

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से कोई नहीं।

श्री जमील अख़्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य।

.....

निर्णय

(दिनांक 05.05.2011 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया।

(1) यह अपील दिनांक 11 अगस्त, 1994 को पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, द्वारा सत्र विचारण क्र. 19/94 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा

अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया तथा उसे आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित किया गया।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं :—

दिनांक 14.11.1993 को लगभग सायं 4:00 बजे मृतक मुरितराम अपने घर से निकला और ग्राम की बस्ती की ओर गया। जब वह रात्रि 10:00 बजे तक घर वापस नहीं लौटा, तब उसके पिता सुधु (अ.सा.-2) ने उसकी तलाश की। तलाश के दौरान उसने पाया कि मृतक झाड़ुदार, तिहारू तथा भारत (अभियुक्त/अपीलार्थी) के साथ था। उस समय सभी व्यक्ति नशे की अवस्था में थे। जब सुधु (अ.सा.--2) ने मृतक को अपने साथ घर ले जाने का प्रयास किया, तो मृतक ने उससे कहा कि वह अभियुक्त भारत के घर भोजन करने जा रहा है। इसके पश्चात मृतक अभियुक्त भारत के साथ चला गया। मृतक उस रात घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन अर्थात् दिनांक 15.11.1993 को प्रातः लगभग 6:00 बजे ग्राम के बाहरी क्षेत्र में मृतक का शव पाया गया। शव पर अनेक चोटों के निशान पाए गए। तत्पश्चात सुधु (अ.सा.-2) द्वारा पुलिस थाना में सूचना दी गई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/2) पंजीबद्ध की गई। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच पंचों को सूचना दी तथा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श-पी/9) तैयार किया। अन्वेषण के दौरान उसने विभिन्न वस्तुएँ जप्त कीं, जिनमें मोटर टायर की सामग्री से बनी एक जोड़ी चप्पल तथा बबूल की लकड़ी का एक टुकड़ा शामिल था। आगे की विवेचना में अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श-पी/11) दर्ज किया गया। अपीलार्थी के कथन के आधार पर बबूल की लकड़ी का एक टुकड़ा (जो कथित रूप से घटना स्थल से जप्त की गई लकड़ी का टूटा हुआ भाग था) जप्त किया गया, जिसकी जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी/12 तैयार की गई। इसके अतिरिक्त, घटना स्थल से जप्त की गई चप्पलों को अपीलार्थी को पहनाकर देखा गया, जो उसके पैरों में ठीक प्रकार से फिट हो गईं, तथा इस संबंध में एक पंचनामा तैयार किया गया। जप्त की गई समस्त वस्तुएँ, जिनमें बबूल की लकड़ी के टुकड़े भी शामिल थे, रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर भेजी गईं, किंतु एफ.एस.एल. की रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

सामान्य/प्रचलित जाँच की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात् आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर द्वारा उक्त प्रकरण को विचारणार्थ संबंधित सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। इसके पश्चात् स्थानांतरण के माध्यम से यह प्रकरण पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को प्राप्त हुआ, जिन्होंने मामले का विधिवत् विचारण किया तथा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडित किया।

(3) घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं था। अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया जाना पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया गया:

(A) मृतक ने अपीलार्थी की पत्नी के साथ अवैध/अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए थे;

(B) मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था;

(C) घटना स्थल से जब्त की गई दो चप्पलें आकार में अपीलार्थी के पैरों के अनुरूप पाई गईं तथा वे अपीलार्थी के पैरों में फिट हुईं;

(D) अपीलार्थी द्वारा पंचनामा (प्रदर्श-पी/8) के माध्यम से न्यायालय से बाहर न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की गई;

(E) बबूल की लकड़ी के दो टुकड़े, जिनमें से एक घटना स्थल से जब्त किया गया तथा दूसरा अपीलार्थी के कथन एवं निशानदेही पर बरामद किया गया, एक ही लकड़ी के गट्ठे (लॉग) से संबंधित पाए गए; तथा

(F) घटना की तिथि को अपीलार्थी के शरीर पर भी चोटें पाई गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) उपर्युक्त परिस्थितियों में से परिस्थिति क्रमांक (A) एवं (D) को सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित नहीं माना गया। तथापि, शेष परिस्थितियों अर्थात् परिस्थितियाँ (B), (C), (E) एवं (F) पर विश्वास करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी ने बबूल की लकड़ी का उपयोग कर मृतक की हत्या की। अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंड का उत्तरदायी है।।

(5) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अभिलेखित निष्कर्षों का समर्थन किया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त सभी परिस्थितियाँ विधिवत् रूप से सिद्ध की गई हैं, वे निर्णायक प्रकृति की हैं तथा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर संकेत करती हैं। अतः सत्र न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया जाना पूर्णतः उचित एवं विधिसम्मत है।

(6) हमने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता को सुना तथा सत्र प्रकरण के समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(7) **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 एस.सी.सी. 22** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि, "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी प्रकरण में, जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उनका न केवल पूर्ण रूप से सिद्ध होना आवश्यक है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वे सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों तथा केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप हों। ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य परिकल्पना, सिवाय अभियुक्त के दोष के, से समझाई नहीं जा सकनी चाहिए। साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत संदेह की गुंजाइश न बचे। यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि विधि द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, न कि मात्र न्यायालय की शंका या आक्रोश। अपराध जितना गंभीर हो, साक्ष्यों की उतनी ही अधिक सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले सके।

(8) **बोध राज उर्फ़ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, एआईआर 2002 एससी 3164** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि प्रतिपादित की कि यद्यपि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, तथापि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने से पूर्व कुछ अनिवार्य शर्तों का पूर्ण रूप से स्थापित होना आवश्यक है। ये शर्तें निम्नलिखित हैं—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से सिद्ध की जानी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ "हो सकती हैं" नहीं, बल्कि "अवश्य" या "चाहिए" के स्तर तक स्थापित की जानी चाहिए;
2. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप हों, अर्थात् उन्हें अभियुक्त की दोषसिद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर समझाया न जा सके;
3. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की हों;
4. वे अभियोजन द्वारा सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित परिकल्पना को पूर्णतः करती हों; तथा
5. साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण एवं अखंड श्रृंखला हो, जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत आधार को शेष न छोड़े और यह प्रदर्शित करे कि सामान्य मानवीय संभावनाओं के अनुसार उक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

'अंतिम बार देखे जाने' के सिद्धांत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब वह समयांतराल, जिसमें अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया तथा वह समय जब मृतक का शव पाया गया, अत्यंत अल्प हो, जिससे अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना पूर्णतः असंभव हो जाए। ऐसे मामलों में जहाँ समयांतराल अधिक हो तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच में आने की संभावना से इनकार न किया जा सके, यह निश्चित रूप से सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ ही देखा गया था। ऐसे मामलों में, अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने के संबंध में कोई अन्य ठोस एवं सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध न होने पर, केवल इस आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना अत्यंत जोखिमपूर्ण एवं विधिसंगत नहीं माना जाएगा।

(9) जहाँ तक "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति का प्रश्न है, सुद्दू (अ.सा.-2) ने अपने बयान में कहा कि जब उसका पुत्र रात में घर वापस नहीं आया, तब वह चौराहे की ओर गया और वहाँ उसने देखा कि उसका पुत्र (मृतक) झाड़ूद्दार, अपीलार्थी-भारत तथा तिहारू के साथ उपस्थित था। झाड़ूद्दार, अपीलार्थी का पिता है। झाड़ूद्दार ने अपने पुत्र (अपीलार्थी) से कहा कि वह मृतक को भोजन के लिए अपने घर ले जाए। साक्षी ने यह भी स्पष्ट रूप से बयान दिया कि वह यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त वास्तव में उसके पुत्र को अपने घर ले गया था या नहीं। अतः उसके साक्ष्य का निष्कर्ष यह है कि उसने मृतक को तीन व्यक्तियों—झाड़ूद्दार, भारत (वर्तमान अपीलार्थी) तथा तिहारू—की संगति में देखा था, न कि केवल अपीलार्थी की संगति में। इसके अतिरिक्त, मृतक को जीवित देखे जाने और उसका शव प्राप्त होने के मध्य पर्याप्त समयांतराल था। मृतक को लगभग रात्रि 10:00 बजे नशे की अवस्था में जीवित देखा गया था, जबकि उसका शव अगले दिन प्रातः लगभग 6:00 बजे प्राप्त हुआ। इन सभी तथ्यों के आलोक में "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति सिद्ध नहीं होती और सत्र न्यायालय द्वारा इस परिस्थिति को अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध मानना विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था।

(10) घटना स्थल से दो चप्पलों की जप्ती की परिस्थिति भी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं थी। यह सिद्ध नहीं किया गया कि उक्त चप्पलें अपीलार्थी की ही थीं। चप्पल एक अत्यंत सामान्य वस्तु है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अभियोजन का यह तर्क था कि चप्पलों का साइज अपीलार्थी के पैरों के अनुरूप था और वे उसके पैरों में फिट होती थीं। यह मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु किसी भी स्थिति में, जब तक यह निर्णायक रूप से सिद्ध न किया जाए कि उक्त चप्पलें अपीलार्थी की ही थीं, तब तक इसे अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगात्मक परिस्थिति नहीं माना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकता। अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा इस परिस्थिति को भी अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध मानना विधि के अनुरूप नहीं था।

(11) जहाँ तक अपीलार्थी के कब्जे से बबूल की लकड़ी के एक टुकड़े की जप्ती से संबंधित परिस्थिति का प्रश्न है, वह भी अभियोगात्मक नहीं है, क्योंकि अभियोजन द्वारा उक्त जप्त वस्तु पर रक्त के धब्बों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई विशेषज्ञ प्रतिवेदन (एक्सपर्ट रिपोर्ट) भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि घटनास्थल से प्राप्त बबूल की लकड़ी का टुकड़ा तथा अपीलार्थी के कब्जे से बरामद बबूल की लकड़ी का टुकड़ा एक ही लट्ठे (लकड़ी के गट्ठे) के हिस्से थे। अभियोजन द्वारा दोनों लकड़ी के टुकड़ों को उनके रेशों/ऊतकों (फाइबर/टिश्यू) की वैज्ञानिक जांच हेतु भी प्रेषित नहीं किया गया, जिससे यह सुनिश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके कि वे दोनों एक ही लकड़ी के लट्ठे के भाग थे। सत्र न्यायाधीश ने इस संबंध में चिकित्सक के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने मात्र यह कहा कि दोनों लकड़ी के टुकड़े एक ही लट्ठे के प्रतीत होते हैं, किंतु अपने इस निष्कर्ष के समर्थन में कोई कारण या आधार प्रस्तुत नहीं किया। यह निर्विवाद है कि उक्त चिकित्सक इस प्रकार का विशेषज्ञ मत देने के लिए सक्षम अथवा विशेषज्ञ नहीं थे, तथा उनके द्वारा दिया गया ऐसा मत न्यायालय पर बाध्यकारी भी नहीं हो सकता। हमारा यह मत है कि सत्र न्यायालय द्वारा डॉ. सी.एल. चंद्राकर की (क्योरी) रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/15) पर किया गया भरोसा पूर्णतः गलत था। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उक्त प्रश्नोत्तर रिपोर्ट (क्योरी) के आधार पर कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जिसमें चिकित्सक ने मात्र यह राय व्यक्त की थी कि बबूल की दोनों लकड़ी के टुकड़े एक ही लट्ठे के प्रतीत होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अंतिम परिस्थिति, जिसे अभियोग सिद्ध करने वाली माना गया है, यह है कि अपीलार्थी को भी चोटें आई थीं तथा उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था, जिसके संबंध में चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श-पी/26 प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी का परीक्षण दिनांक 16.11.1993 को लगभग अपराह्न 1.45 बजे किया गया था। चिकित्सक ने यह पाया कि अपीलार्थी को कई चोटें थीं, जो किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से 24 से 48 घंटे के भीतर लग सकती थीं। सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त चोटें अपीलार्थी द्वारा मृतक पर हमला किए जाने के दौरान ही लगी होंगी। यह निष्कर्ष मात्र एक साधारण अनुमान प्रतीत होता है, जिसे सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध स्थापित किया है, जबकि ऐसे अनुमान को स्थापित करने के लिए कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को लगी चोटों के अनेक संभावित कारण हो सकते हैं। जब तक यह निर्णायक एवं ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्ध न किया जाए कि अपीलार्थी एवं मृतक के मध्य कोई झगड़ा

या हाथापाई हुई थी तथा उसी झगड़े के दौरान अपीलार्थी को उक्त चोटें आई थीं, तब तक अपीलार्थी के शरीर पर पाई गई चोटें मात्र अपने आप में न तो अभियोगात्मक मानी जा सकती हैं और न ही उसके अपराध को निर्णायक रूप से सिद्ध करने वाली हैं।

(13) हमारा यह सुविचारित मत है कि जिन परिस्थितियों के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला गया, वे परिस्थितियाँ पूर्णतः सिद्ध नहीं की जा सकीं तथा न ही वे निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की थीं। समस्त परिस्थितियों का स्पस्टीकरण दिया गया था और ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण, सुसंगत एवं अविच्छिन्न हो कि उससे अपीलार्थी की निरपराधिता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत निष्कर्ष की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम थे।

(14) उपर्युक्त कारणों के दृष्टिगत, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना संभव नहीं है। हमारा यह भी मत है कि माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराने में विधि संबंधी त्रुटि की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Tara Chandra Chouhan (Advocate).....